बारहमासी सड़क योजना
परिपत्र–4

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 3284/MGNREGS-MP/NR-3/2010 दिनांक 01/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

जिला -- समस्त मध्यप्रदेश।

विषय :– वर्ष 2013 तक म.प्र. के समस्त बसाहटों को बारहमासी ग्रामीण सड़क से जोड़ने बावत्– सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां

विषयांतर्गत बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना का वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का स्वरूप विस्तृत होने के साथ ही बहुआयामी भी है, जिसमें मुख्यमंत्री सड़क योजना, बैंकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना के साथ समन्वय और सामन्जस्य के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। कार्य संबंधित योजना के प्रावधानों के तहत किए जाएगें अतः अलग–अलग योजनाओं के तहत कार्यों का स्वरूप भी अलग–अलग होगा। इसलिए योजना के तहत होने वाले कार्यों का स्वरूप स्पष्ट हो इसके लिए यह आवश्यक है कि योजना के क्रियान्वयन कार्य में निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

2. सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां नियोजित रूप में संचालित की जाए। इसके तहत निम्नानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जिसकी प्रस्तावित कार्ययोजना संलग्न है।

21 बारहमासी ग्रामीण सड़क निर्माण की जानकारी का लेखन कराया जाए।

2.2 वाक–थ्रू के समय ग्रामीणों के साथ पारदर्शिता बनाये रखने के लिये सड़क निर्माण के प्रारंभ स्थल तथा समाप्त होने की जगह पर बैंनर लगाये जाए।

2.3 वाक् थ्रू के समय ग्रामीणों से चर्चा की जाए कि सड़क निर्माण में वांछित गुणवत्ता की सामग्री की आवश्यकता होगी। यदि वे अपने खेत में खेत तालाब निर्माण कराना चाहते हो या तालाब गहरीकरण कराना चाहते हो तो बताए। ग्रामीणों को यह भी बताए कि सड़क निर्माण में उनके तालाब गहरीकरण या खेत तालाब से मिलने वाली सामग्री का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा। जिस पर उन्हीं को चलना है। उक्त चर्चा के लिए एवं स्थानीय समस्या के समाधान हेतु ग्रामीणों से वॉक थ्रू के समय चर्चा करें तथा आवश्यकतानुसार रात्रि विश्राम करें।

बी.पी.एल. परिवार की बस्ती में कार्य प्रारंभ होने के समय मजदूरों को सड़क निर्माण कार्य के लिये मजदूरों की आवश्यकता की जानकारी दें।

2.4. मजदूरों को प्रतिदिन कार्य के लिए बनी मजदूरी की जानकारी देने हेतु प्रबंध करने संबंधी निर्देश मेट/सचिव/उपयंत्रियों को दिए जाए।

2.5. मजदूरों को सड़क निर्माण कार्य में आमंत्रित करने हेतु सूचना प्रसार के आवश्यक उपाय – मुनादी, उद्घोषणा (लाउडस्पीकर से) आदि के कार्य कराए जाए।

2.6. सड़क कार्य प्रारंभ होने के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य उपरांत कार्य के छायाचित्र तथा वीडियोग्राफी कराई जाए।

2.7. सड़क निर्माण में भूमि दान करने वाले दानदाताओं से उनसे ली जा रही जमीन की विधिवत् रजिस्ट्री करायी जाए।

2.8. जिला एवं जनपद स्तर पर जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

2.9. स्थानीय हाट बाजार, एवं भीड वाले स्थानों पर सड़क बनने के लाभों को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी लगाई जाए।

2.10. जिला, जनपद, हाट बाजार एव स्थानीय स्तर पर सूचना शिविर लगाए जाए।

2.11. स्थानीय स्तर एवं संकुल बनाकर चौपाल सम्मेलन आयोजित किए जाए।

2.12. ग्रामोत्त्व/ग्राम सभा का आयोजन किया जाए।

3. योजना क्रियान्वयन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता और आगे बढ़कर जानकारी देने के कार्य किए जाए।

3.1. प्रत्येक कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाए जाएें। शासन द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से अद्यतन किए जाए।

3.2. मजदूरी की उपस्थिति में मस्टर की जानकारी का अनिवार्यतः वाचन किया जाएें।

3.3. कार्य का विवरण एम.बी. में दर्ज करने के समय मजदूरों को पढ़कर सुनाया जाएें।

3.4. ग्राम पंचायत और जनपद कार्यालय में सूचना पटलों के माध्यम से योजना की जानकारी निधि, व्यय और अनुमोदित परियोजनाओं की जानकारी प्रसारित की जाएें।

3.5. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों को देखने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने और प्रतिलिपि अथवा सार प्राप्त करने की मांग किए जाने पर निर्धारित शुल्क प्राप्त कर तीन कार्य दिवस में प्रस्तुत किए जाने के प्रबंध किए जाएें।

3.6. मस्टर रोल में मजदूरों द्वारा की गई मजदूरी की मात्रा व देय राशि मजदूरों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराई जाए। प्रगतिरत कार्यों में संलग्न मजदूरों द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार कार्यस्थल पर सभी देयकों एवं वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणन कम से कम पांच मजदूरों से कराया जाए। यह कार्य चक्रानुक्रम के आधार पर साप्ताहिक रूप से कराया जाए।

3.7. कार्यादेश की एक प्रति कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहें।

3.8. प्रत्येक कार्य और मजदूर के मापमान के अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिए अद्यतन रहें और कार्यस्थ ल पर मस्टर रोल कार्य के दौरान उपलब्ध रहें।

4. कार्यों का ग्रामसभा में नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण किया जाए! सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई भारत सरकार के राजपत्र क्र.– 1827 दिनांक 31 दिसम्बर 2008 में विहित प्रक्रिया के तहत की जाए। सामाजिक संपरीक्षा समितियों को निर्धारित समय सीमा में दस्तावेजों की प्रतिलिपि उपलब्ध हो। इसके समुचित प्रबंध अनिवार्यतः किए जाए, ताकि समिति द्वारा अभिलेखों और कार्यों का सत्यापन किया जा सकें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 3285/MGNREGS-MP/NR-3/2010 दिनांक 01/04/2010

प्रतिलिपि–

1. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर्यावास भवन भोपाल।
4. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल ....(समस्त)।
7. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पीआईयू............ समस्त मध्यप्रदेश।
8. कार्यक्रम अधिकारी (समस्त) MGNREGS-MP, जनपद पंचायत.............. मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

बारहमासी सड़क योजना प्रचार अभियान प्रारूप
(कार्ययोजना)

आई.ई.सी. गतिविधि का माध्यम	गतिविधि का स्वरूप	गतिविधि संचालन का दायित्व	गतिविधि हेतु सामग्री का निर्माण	गतिविधि संचालन अवधि
प्रिन्ट माध्यम में	विज्ञापन	जनसंपर्क विभाग	मध्यप्रदेश माध्यम	अप्रैल, मई एवं जून माह
	ए–4 साईज़ के विज्ञापन का प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों से प्रकाशन			प्रतिमाह एक
	ब्रोशर का निर्माण	विभागीय (जिलों के माध्यम से वितरण)	मध्यप्रदेश माध्यम	अप्रैल माह
	सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका का निर्माण	विभागीय (जिलों के माध्यम से वितरण)	मध्यप्रदेश माध्यम	अप्रैल माह
टेलीविजन के माध्यम से	विज्ञापन का प्रसारण	दूरदर्शन	मध्यप्रदेश माध्यम	अप्रैल,मई एवं जून माह में
	कार्यक्रमों का प्रसारण	दूरदर्शन	दूरदर्शन	अप्रैल,मई एवं जून माह में
रेडियो के माध्यम से	विज्ञापन का प्रसारण	आकाशवाणी	मध्यप्रदेश माध्यम	अप्रैल,मई एवं जून माह में

	कार्यक्रमों का प्रसारण	आकाशवाणी	आकाशवाणी	अप्रैल,मई एवं जून
अन्य कार्य	मीडिया प्रतिनिधियों की प्रायोजित यात्राओं के माध्यम से लेख निर्माण	विभागीय	विभागीय	अप्रैल,मई एवं जून माह
	शासकीय पत्रिकाओं में योजना की जानकारियों का प्रसार	मध्यप्रदेश संदेश पंचायिका समझ झरोखा अन्य प्रकाशन	विभागीय	अप्रैल,मई एवं जून माह में
	मान. मंत्री महोदय का पत्र जनप्रतिनिधिओं के लिए	विभागीय	विभागीय	मार्च एवं अप्रैल माह में
	जिलों /राज्य स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन (मीडिया,जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध नागरिक हेतु)	जिला स्तर	राज्य स्तर से मीडिया शाखा	अप्रैल माह में
	योजना की जानकारी पर आधारित प्रस्तुतिकरण	विभागीय	मध्यप्रदेश माध्यम	मार्च एवं अप्रैल
	अन्य विभागों के साथ समन्वय	जनसंपर्क, वन्या एवं अन्य संस्थाएं	विभागीय	अप्रैल,मई एवं जून माह में
	प्रेस रिलीज़	विभागीय	राज्य/जिला स्तर	मार्च से जून माह तक
	बारहमासी सडक योजना की जानकारी का विभागीय वेबसाईट पर लिंक	राज्य स्तर से एम आई एस शाखा	राज्य स्तर से मीडिया शाखा	